

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकांशिता विभाग
जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक एफ 1(7)()डीपीसी/सान्याअवि/2019/ 15182

जयपुर, दिनांक 05-12-2019

-: आदेश :-

राजस्थान समाज कल्याण राज्य सेवा के नियम 1963 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति बैठक दिनांक 26.11.2019 की अभिशंषा पर सहायक निदेशक एवं समकक्ष से उपनिदेशक एवं समकक्ष के पद पर चयन वर्ष 2016-17 से 2019-20 में पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री ओम प्रकाश तोषनीवाल	वर्ष 2016-17	01.04.2016
2.	श्री शरद शर्मा	वर्ष 2016-17	01.04.2016
3.	श्री अनिल व्यास	वर्ष 2016-17	01.04.2016
4.	श्रीमती सविता कृष्णिया	वर्ष 2016-17	01.04.2016
5.	श्री गिरीश भटनागर	वर्ष 2016-17	01.04.2016
6.	श्री शम्भूराम मीणा ST	वर्ष 2016-17	01.04.2016
7.	श्रीमति विजय लक्ष्मी गौड (स्वे.सेवानिवृति दि.31.7.16)	वर्ष 2016-17	01.04.2016 प्रोफार्मा पदोन्नति
8.	श्री प्रफूल्ल कुमार चौबीसा	वर्ष 2016-17	01.04.2016
9.	श्रीमती मीना शर्मा	वर्ष 2016-17	01.04.2016
10.	श्री मान्याता सिंह	वर्ष 2016-17	01.04.2016
11.	श्री दिलबाग सिंह	वर्ष 2016-17	01.04.2016
12.	श्री बुद्धिप्रकाश चन्देल SC	वर्ष 2016-17	01.09.2016

1. श्री अशोक कुमार शर्मा 2. श्री रामराज मीणा ST के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2017-18 एवं 1. श्री संजय कुमार सांवलानी के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2018-19 की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी जाती हैं।

निम्नलिखित राजसेवको के संबंधित वर्षों के सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण समिति ने इनके प्रकरण डेफर करते हुए पद रिक्त रखे जाने की अभिशंषा की है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी
1.	श्री हिम्मत सिंह कविया

क्र.सं. 01से 12 पर अंकित राज्य सेवक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।


(सांवर मूल वर्ग)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 1(7)()डीपीसी/सान्याअवि/2019/ 15183-286

जयपुर, दिनांक 05-12-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामा. न्याय एवं अधि. विभाग/विशेष योग्य जन/बाल अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, वित्तिय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. संस्थापन प्रशाखा (पी-1), मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को बेवसाईट पर संघारित किये जाने हेतु ।
6. संबंधित श्री/श्रीमती , सहायक निदेशक एवं समकक्ष, निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/विशेष योग्य जन/बाल अधिकारिता/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ।
7. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती ।
8. आदेश पत्रावली।


(जय ज्योति मीणा) 05/12/19
अतिरिक्त निदेशक (संस्कृता एवं प्रशासन)
पदेन संयुक्त शासन सचिव